BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

जीएसटी प्रक्रिया में अगली पीढ़ी के सुधार

अधिक आसान, तेज़ और ज़्यादा अनुमान लगाने योग्य प्रक्रिया की ओर

09 अक्टूबर, 2026

परिचय

पहली जुलाई 2017 को आरंभ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से कई केंद्रीय और राज्य करों को साझा ढांचे में लाया गया। यह भारत की सुधार यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने **"एक राष्ट्र, एक कर"** के सिद्धांत को लागू किया और भारत को एकीकृत कर प्रणाली की ओर ले जाने में सहायता की।

पिछले नौ वर्षों में, मानकीकृत प्रक्रियाओं और तर्कसंगत दरों ने बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास में सहायता की है। इससे **'एक भारत - श्रेष्ठ भारत'** के दृष्टिकोण को भी मज़बूती मिली है।

इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में **चार-स्तरीय जीएसटी दर संरचना को सरल बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों** की सिफारिश की। नई संरचना में **दो मुख्य दरें** हैं - 5% और 18% - और चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष दर है।

यह सुधार प्रक्रिया **अक्टूबर 2026 में 57वीं बैठक में** भी जारी रही। परिषद ने और प्रक्रिया सुधारों, चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के बारे में स्पष्टीकरण, और व्यापार करना आसान बनाने व अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों की सिफारिश की।

आंकड़ों में जीएसटी: व्यापक पहुंच, पैमाना और संग्रह

करदाताओं का व्यापक आधार: पंजीकृत करदाताओं की संख्या **2017 में लगभग 60 लाख से बढ़कर सितंबर 2026 तक ~1.70 करोड़** हो गई।

बड़े पैमाने पर डिजिटल कर प्रणाली: 30 सितंबर 2026 तक, जीएसटी प्रणाली में कुल मिलाकर 3,053 करोड़ इनवॉइस अपलोड और 833.82 करोड़ ई-वे बिल प्रोसेस किए गए।

मज़बूत राजस्व वृद्धि: अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह **~₹12.46 लाख करोड़** तक पहुंच गया, जिसमें साल-दर-साल **11.6%** की वृद्धि दर्ज की गई।

Next-Gen GST

Process Reforms

Towards Simpler, Faster and More Predictable Processes

REGISTRATION

- Expedited and smooth registration process through:
  - Certainty in documentary requirement
  - System based guidance and hand holding to reduce errors
- Simplified registration mechanism for small taxpayers making supply through E-commerce platform
- Self-amendments in registration details by taxpayers
- Automatic acceptance of cancellation application

EASE OF LIVING

- Removal of arrest provision under GST.
- Increase in prosecution threshold from ₹1 Cr.to 5 Cr.
- Conditional late fee waiver for small taxpayers in return filing
- E-way bill:
  - Intelligence based interception
  - No E-way bill to be checked by transit states

REFUNDS

- Auto generated acknowledgement for refund applications, if not issued by the proper officer within 10 days
- Automated sanction of 90% provisional refund in case of zero-rated supplies and inverted duty structure (based on risk analysis)
- Automatic refund of excess balance in Electronic Cash Ledger

RETURNS

- Enhancement in GSTR-1/1A/IFF to provide correct recording of liability in GSTR-3B
- Alternative mechanism of amendment in liability and input tax credit in GST return to reduce mis-matches & notices
- A Concept note has been floated regarding a simplified return filing mechanism on annual basis with quarterly payment of tax for eligible small taxpayers making B2C supplies

RATIONALIZATION OF ITC

- To enhance seamless flow of credit by allowing ITC on certain supplies including: Health Insurance, Life Insurance, free samples, etc.
- Refund of accumulated ITC of capital goods and input services

LITIGATION

- No demand notice for tax amount below ₹ 10,000
- Penalty to be termed as 'Charge' in case of voluntary payment of tax liability*
- Reduced penalty of 5% where tax along with interest is discharged within 30 days or 60 days of the adjudication order in non-fraud cases.
- General penalty reduced from ₹ 25,000/- to ₹ 10,000/-

Source: Ministry of Finance (exceptions & conditions apply)

जीएसटी पंजीकरण को अधिक आसान, तेज़ और ज़्यादा अनुमान लगाने योग्य बनाना

जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य ऐसी जीएसटी पंजीकरण प्रणाली बनाना है जिसके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सके और जो कर दाताओं के लिए सुविधाजनक हो। इनका उद्देश्य कारोबार को आसानी से चलाने में सहायता करना और औपचारिक अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना है।

पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार:

जीएसटी परिषद ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

a) पंजीकरण आवेदन को प्रोसेस करने के लिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के साथ **पूरी और विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।**

b) फाइलिंग की प्रक्रिया आसान बनाने और कर दाताओं व कर अधिकारियों के लिए स्पष्टता बढ़ाने के लिए **पंजीकरण आवेदन में बदलाव किए जाएंगे**।

c) **जीएसटी पोर्टल** पंजीकरण आवेदन फाइल करने के लिए **इस्तेमाल में आसान इंटरफ़ेस उपलब्ध कराएगा**, जिसमें साफ़ नेविगेशन पाथ, ड्रॉप-डाउन लिस्ट, टूल-टिप और संदर्भ के अनुसार मार्गदर्शन होगा।

इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है?

यह वह क्रेडिट है जिसका दावा कोई पंजीकृत व्यक्ति खरीदे गए सामान या सेवाओं पर दिए गए कर के लिए कर सकता है।

उदाहरण के लिए: अगर किसी विनिर्माता ने कच्चा माल खरीदने पर ₹10,000 का कर दिया है और उत्पाद बेचने पर ₹25,000 का कर एकत्र किया है। परिणामस्वरूप, शुद्ध कर भुगतान की राशि ₹15,000 होगी और विनिर्माता कच्चे माल पर दिए गए कर का दावा कर सकता है।

इन उपायों से **पंजीकरण आवेदन को सही तरीके से फाइल करने में आसानी होगी** और ऐसे आवेदनों के **अस्वीकार होने या उनसे जुड़े प्रश्न उठने** की गुंजाइश कम होगी।

स्वतः स्वीकृति (ऑटोमैटिक एक्सेप्टेंस)

आसानी से और लगभग तुरंत अपडेट करने के लिए, परिषद ने **पंजीकरण की जानकारी में संशोधनों को स्वतः स्वीकृति** देने का सुझाव दिया है। यह सुविधा कारोबार की मुख्य जगह (पीपीओबी) से जुड़े बदलावों को छोड़कर, पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

कारोबार की मुख्य जगह क्या है? सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 2(89) में इसे इस तरह बताया गया है: "बिज़नेस की मुख्य जगह" (principal place of business) का अर्थ है पंजीकरण प्रमाणपत्र में कारोबार की मुख्य जगह के तौर पर बताया गया स्थान।”

ऑटोमैटिक रूट से पंजीकृत करदाताओं के लिए, **पीपीओबी सहित पंजीकरण की सभी जानकारियों** में बदलावों को स्वतः स्वीकृति मिल जाएगी।

पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया

पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, परिषद ने सीजीएसटी एक्ट, 2017 और सीजीएसटी रूल्स, 2017 में संशोधनों की सिफारिश की। इस प्रस्ताव में निम्न बातें शामिल हैं:

a) स्वतः रद्द होना: अधिकारी के हस्तक्षेप को कम करने के लिए परिषद ने चरणबद्ध ढंग से सुधार का प्रस्ताव दिया।

पहला चरण

पेंडिंग रिटर्न फाइल करने और सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद रद्द करने (कैंसिलेशन) के लिए **आवेदन अपने आप स्वीकार** कर लिए जाएंगे।

- यह उन करदाताओं पर लागू होगा जिन्होंने **किसी भी महीने में ₹2.5 लाख से ज़्यादा का आईटीसी अंतरण नहीं किया** है।
- यह उन मामलों में भी लागू होगा जहाँ **एक महीने में आईटीसी ₹2.5 लाख से ज़्यादा** था, बशर्ते तय समय के भीतर फाइनल रिटर्न फाइल कर दिया गया हो।

दूसरा चरण

सभी पेंडिंग रिटर्न फाइल होने और सभी बकाया राशि का भुगतान हो जाने के बाद, पंजीकरण रद्द करने के सभी आवेदन सिस्टम द्वारा अपने आप स्वीकार कर लिए जाएंगे। फॉर्म GST REG-16 में संशोधन किया जाएगा ताकि फॉर्म GSTR-10 की जानकारी उसी आवेदन में दी जा सके।

b) स्वतः रद्द होना (सुओ-मोटो कैंसिलेशन): रद्द करने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए, कर अधिकारियों द्वारा पंजीकरण रद्द करने के कुछ आधार हटा दिए जाएंगे, जिससे हस्तक्षेप कम होगा।

सिस्टम-आधारित मैकेनिज्म नियमों का पालन न करने और बाद में पालन करने के आधार पर कैंसिलेशन और उसे वापस लेने (revocation) की सुविधा देगा। इस व्यवस्था (मैकेनिज्म) में तय समय के भीतर रिटर्न फाइल न करने या बैंक खाते की जानकारी न देने जैसी कमियों को शामिल किया गया है।

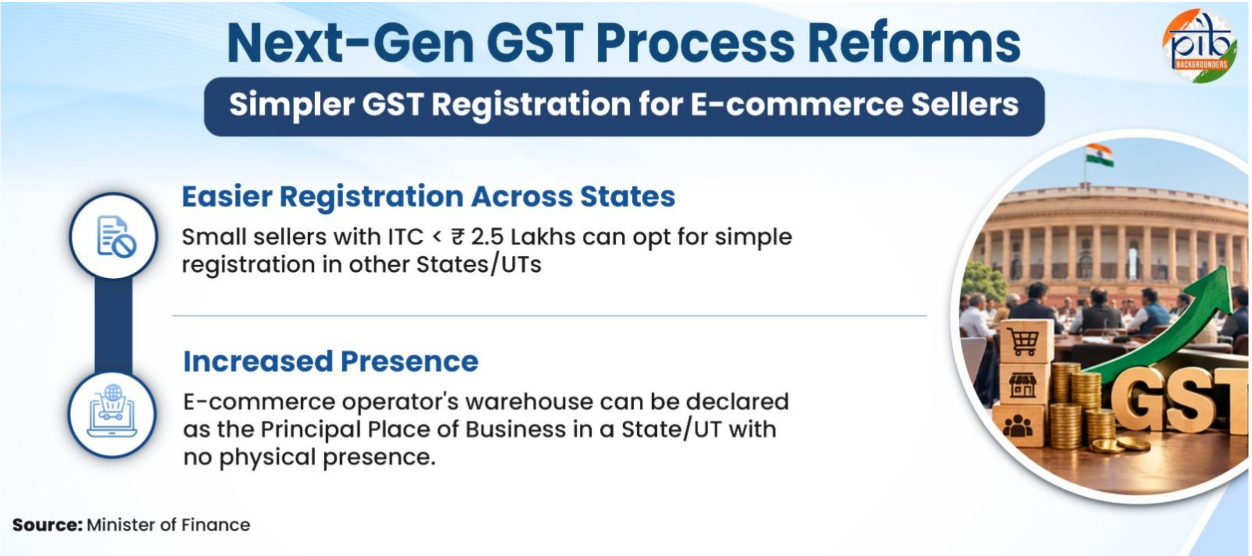

ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए सुधार

जीएसटी परिषद द्वारा सुझाए गए सुधार **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपूर्ति करने वाले छोटे करदाताओं के लिए आसान पंजीकरण प्रक्रिया** उपलब्ध कराते हैं।

जो छोटे विक्रेता ₹2.5 लाख/महीने से ज़्यादा का आईटीसी अंतरित नहीं करते हैं (स्टॉक ट्रांसफर को छोड़कर), वे अपने गृह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आसान पंजीकरण (पैन-आधारित) का विकल्प चुन सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के वेयरहाउस को उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पीपीओबी (मुख्य व्यापार स्थल) के तौर पर घोषित किया जा सकता है जहाँ कोई भौतिक मौजूदगी नहीं है।

इससे छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए अन्य राज्यों में अपना बिज़नेस शुरू करना आसान हो जाएगा और 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) को बढ़ावा मिलेगा।

बेहतर सटीकता और नियमों के पालन के लिए जीएसटी रिटर्न में सुधार

आपूर्ति श्रृंखला में आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) से जुड़ी गड़बड़ियों को कम करने और इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, परिषद ने रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने का सुझाव दिया। इससे कर देनदारी और आईटीसी की अधिक सटीक रिपोर्टिंग हो सकेगी और **नियमों के पालन का बोझ भी कम होगा।** परिषद के प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

a) GSTR-3B के साथ बेहतर मिलान (रिकॉन्सिलिएशन) सुनिश्चित करने के लिए GSTR-1/1A/IFF में सुधार किया जाएगा।

b) **"रिवर्स चार्ज के आधार पर चुकाए गए टैक्स और क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट"** सुविधा से **रिवर्स चार्ज के दायरे में आने वाली आपूर्ति पर** कर देनदारी और **आईटीसी** की सही रिपोर्टिंग में सहायता मिलेगी।

c) एक ऐसी व्यवस्था होगी जिससे **GSTR-3B** में बताई गई देनदारी को **GSTR-1/1A/IFF** में दी गई जानकारी के अनुसार रिपोर्ट या ठीक किया जा सकेगा।

d) **जीएसटी डीआरसी-03 में संशोधन किया जाएगा** ताकि उस **मूल इनवॉइस की जानकारी** दी जा सके जिसके लिए भुगतान किया गया है।

e) **इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस)** से प्राप्तकर्ता आईटीसी रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स को **स्वीकार या अस्वीकार** कर सकेंगे या उन्हें **पेंडिंग** रख सकेंगे।

f) **इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट** से **वापस (रिवर्स) किए गए** और **दोबारा क्लेम किए गए आईटीसी** की सही रिपोर्टिंग में आसानी होगी।

g) ऐसी व्यवस्था होगी जिससे **GSTR-3B** में **रिपोर्ट किए गए आईटीसी** को **GSTR-2B** में उपलब्ध आईटीसी के अनुसार **रिपोर्ट या ठीक किया जा सकेगा।**

h) GSTR-3B में **आईटीसी और उसके रिवर्सल** की रिपोर्टिंग के बारे में परिपत्र (सर्कुलर) के ज़रिए स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे।

देनदारी और आईटीसी को ठीक करने की वैकल्पिक व्यवस्था **अप्रैल 2027 की रिटर्न अवधि** से लागू करने का प्रस्ताव है।

GSTR-1: फॉर्म GSTR-1 आउटवर्ड सप्लाई (बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति) का मासिक/तिमाही स्टेटमेंट है। इसे पंजीकृत करदाता फाइल करते हैं जो सामान और सेवाओं या दोनों की आउटवर्ड सप्लाई करते हैं। इसमें सामान और सेवाओं की आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी होती है।

GSTR-1A: अगर किसी करदाता को GSTR-1 में दी गई आपूर्ति की जानकारी में कोई संशोधन करना हो या कोई नई जानकारी जोड़नी हो, तो वे GSTR-1A के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं।

IFF: इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी (IFF) वैकल्पिक सुविधा है जो QRMP (तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान) योजना में शामिल करदाताओं को दी जाती है। इसके ज़रिए वे तिमाही के पहले दो महीनों (M1 और M2) में अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी फाइल कर सकते हैं और अपने प्राप्तकर्ता को क्रेडिट पास कर सकते हैं।

GSTR-3B: यह आसान समरी रिटर्न है। इस रिटर्न का उद्देश्य करदाताओं के लिए किसी विशेष कर अवधि के लिए अपनी समरी जीएसटी देनदारियों, लिए गए आईटीसी इत्यादि की जानकारी देना और इन देनदारियों का भुगतान करना है।

GST DRC-03: यह भुगतान का फॉर्म है। इसका इस्तेमाल टैक्सपेयर्स जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य बकाया राशि का भुगतान करने के लिए करते हैं।

GSTR-2B: GSTR-2B ऑटो-ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है जो हर सामान्य करदाता के लिए उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने-अपने फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाता है। यह स्टेटमेंट करदाता को उसके आपूर्तिकर्ता द्वारा फाइल किए गए हर दस्तावेज़ के बदले इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता और अनुपलब्धता के बारे में बताता है।

अधिक तेज़ और सिस्टम-आधारित प्रोसेसिंग के ज़रिए जीएसटी रिफ़ंड को आसान बनाना

जीएसटी परिषद के प्रस्तावित सुधारों में रिफ़ंड क्लेम की प्रोसेसिंग और स्वीकृति सिस्टम-आधारित तरीके से करने की व्यवस्था है। इससे प्रोसेसिंग तेज़ होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।

पहला चरण

कैश लेज़र में मौजूद अतिरिक्त बैलेंस का रिफ़ंड अपने-आप (ऑटोमैटिक) हो जाएगा, जिससे कारोबारियों को तेज़ी से फ़ंड मिल सकेगा।

पावती की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी जाएगी। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो इसे 'डीम्ड एक्नॉलेजमेंट' (मान लिया गया एक्नॉलेजमेंट) माना जाएगा।

जोखिम आकलन के आधार पर, ज़ीरो-रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफ़ंड क्लेम के लिए दावा की गई राशि का **90% स्वीकृत होने की आशा है।**

दूसरा चरण

i. ज़ीरो-रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफ़ंड क्लेम के लिए, सिस्टम द्वारा रिफ़ंड आवेदन के सही सत्यापन के बाद सिस्टम-आधारित ऑटोमैटिक एक्नॉलेजमेंट (बिना किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के)।

ऐसे एक्नॉलेज्ड मामलों में, सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर (और अगर कोई बकाया राशि हो तो उसे समायोजित करने के बाद), सिर्फ़ ज़ीरो-रेटेड सप्लाई से जुड़े पूरे रिफ़ंड क्लेम को ऑटोमैटिक रूप से मंज़ूरी दी जाएगी (बिना किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के)।

रिफंड की प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने के उपाय

a) FORM GST RFD-01 में रिफंड आवेदन में बदलाव। इससे **ज़ीरो-रेटेड सप्लाई** और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफंड क्लेम के मामले में सिस्टम-रीडेबल फ़ॉर्मेट में रिफंड की जानकारी दर्ज की जा सकेगी।

b) **CGST नियम, 2017 के नियम 89(4)(C) में बदलाव।** इससे सामान की ज़ीरो-रेटेड सप्लाई के टर्नओवर को घरेलू स्तर पर सप्लाई किए गए समान सामान के मूल्य के 1.5 गुना तक सीमित करने वाली सीमा हट जाएगी।

जीएसटी के अंतर्गत ज़ीरो-रेटेड सप्लाई क्या है?

इसमें माल या सेवाओं का निर्यात और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) डेवलपर या एसईजेड यूनिट को की गई आपूर्ति शामिल है।

c) CGST एक्ट, 2017 की धारा 54(14) में बदलाव। ₹1,000 की रिफंड सीमा कुल रिफंड राशि पर लागू होगी, जिसमें CGST, SGST/UTGST और IGST शामिल हैं।

प्री-डिपॉज़िट के रिफंड पर ब्याज के बारे में स्पष्टता

a) **CGST एक्ट, 2017 की धारा 115 में** संशोधन। यह इसे एक अलग प्रावधान बना देगा जो अपील दायर करने के लिए भुगतान की गई प्री-डिपॉज़िट राशि के रिफंड पर लागू होने वाली ब्याज दर बताएगा।

b) ऐसे रिफंड पर लागू होने वाली ब्याज दर से जुड़ी चिंताओं को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र भी जारी किया जाएगा।

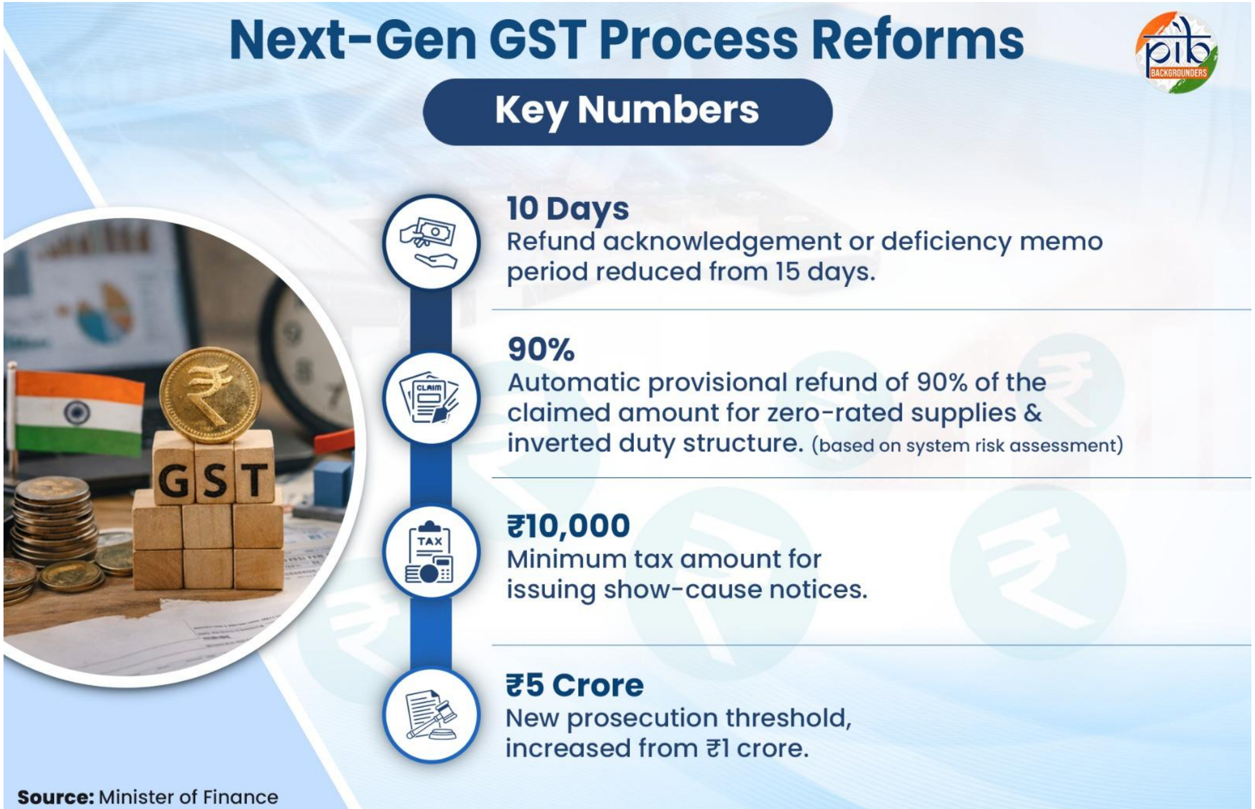

विवाद समाधान को आसान बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सुधार

परिषद ने कर अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश वाला परिपत्र जारी करने की सिफारिश की। इस परिपत्र में डिमांड नोटिस, एडजुडिकेशन ऑर्डर और अपील ऑर्डर की आसान प्रक्रिया शामिल होगी। जीएसटी परिषद द्वारा सुझाए गए अन्य सुधारों का उद्देश्य विवाद समाधान को आसान बनाना और अनुपालन का बोझ व मुकदमेबाजी कम करना है। प्रस्तावों में ये शामिल हैं:

a) **अगर शामिल कर राशि ₹10,000 से कम है, तो कोई 'कारण बताओ नोटिस' जारी नहीं किया जाएगा।** प्रावधान लागू होने की तिथि पर लंबित नोटिस और ₹10,000 से कम राशि वाली अपील पर ₹10,000 की न्यूनतम सीमा के आधार पर फैसला किया जाएगा, जैसी वह नोटिस जारी होने के समय लागू थी।

b) अगर तय समय सीमा के अंदर कर की पूरी रकम, ब्याज और जुर्माने के साथ स्वेच्छा से चुका दी जाती है, तो **जुर्माने को 'चार्ज' कहा जाएगा।**

c) अगर न्यायिक आदेश (एडजुडिकेशन ऑर्डर) के 30 दिनों (धारा 73 के तहत) या 60 दिनों (धारा 74A के तहत) के अंदर कर और ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है, तो **5% की कम जुर्माना** लगेगा।

d) धोखाधड़ी से जुड़े मामलों को छोड़कर, बाकी मामलों में **₹10,000 के न्यूनतम जुर्माने को हटा दिया जाएगा।**

e) **अधिकतम सामान्य जुर्माने को** ₹25,000 से **घटाकर** ₹10,000 कर दिया जाएगा।

जिन मामलों में आदेश में सिर्फ़ जुर्माना शामिल है और कर की कोई मांग नहीं है, उनमें अपीलीय प्राधिकरण या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील के लिए **प्री-डिपॉज़िट की ऊपरी सीमा ₹40 करोड़** तय की जाएगी।

जीएसटी के अंतर्गत अन्य बड़े सुधार

आईटीसी रिफंड और क्लेम तक पहुँच बढ़ाना

रिफंड के लिए ज़्यादा पात्रता

जीएसटी परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम और नियमों में बदलाव की सिफारिश की, ताकि कुछ विशेष मामलों में जमा हुए आईटीसी का रिफंड मिल सके।

तालिका-1: आईटीसी रिफंड की बढ़ी हुई पात्रता		
आईटीसी का प्रकार	**पात्र मामले**	**लागू होने की तिथि**
कैपिटल गुड्स	ज़ीरो-रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर	1 अप्रैल 2027 या उसके बाद; कैपिटल गुड्स पर लिए गए आई टी सी के लिए रिफंड 60 महीनों में मिलेगा।
इनपुट सर्विसेज़	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर	1 नवंबर 2026 या उसके बाद

इससे कर देने वालों की वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें कम होंगी और इन मामलों में इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पर आईटीसी के ब्लॉक होने की समस्या भी कम होगी।

ब्लॉक आईटीसी पर प्रतिबंध कम करना

परिषद ने कुछ आपूर्ति के लिए आईटीसी क्लेम करने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए बदलावों की सिफारिश की।

इसमें आउटडोर कैटरिंग, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, टेलीकम्युनिकेशन टावर, फैक्ट्री परिसर के बाहर पाइपलाइन, फ्री सैंपल और शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद नष्ट या राइट-ऑफ किए गए सामान (कानून के अनुसार) शामिल हैं।

इस बदलाव से कैस्केडिंग टैक्स (व्यापक कर यानि एक के बाद एक लगने वाले कर) कम होंगे और सप्लाई चेन में आईटीसी का प्रवाह बेहतर होगा।

माल और सेवाओं की आपूर्ति के निर्यात/ज़ीरो-रेटिंग से जुड़े सुधार

परिषद ने निर्यात स्टेटस, आपूर्ति की जगह के नियमों और भुगतान से जुड़ी स्पष्टता के साथ-साथ विशेष SEZ/FTWZ डिलीवरी के लिए ज़ीरो-रेटिंग मार्गदर्शन में बदलाव की सिफारिश की।

a) विदेशी कार्यालय या शाखा के ज़रिए दी जाने वाली सेवा: परिषद ने उस शर्त को हटाने की सिफारिश की जिसके तहत सेवा को "सर्विस का निर्यात" मानने के लिए आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का एक ही व्यक्ति का स्थापना नहीं होना ज़रूरी था।

इस बदलाव से उन **भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए रिफंड आसान** हो जाएगा जो अपने विदेशी कार्यालय या शाखा को या उनके ज़रिए सेवा देते हैं। इससे भारत से सेवा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

b) निर्यात के लिए भुगतान: एक परिपत्र जारी करके यह स्पष्ट किया जाएगा कि माल और सेवाओं के निर्यात के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में या भारतीय रुपए में (जहां इसकी अनुमति हो) लिया जा सकता है।

c) कुछ सेवाओं के लिए आपूर्ति की जगह: जिन सेवाओं में प्राप्तकर्ता आपूर्तिकर्ता को माल भौतिक रूप से उपलब्ध कराता है, उनके लिए परिषद ने **धारा 13(2)** के तहत डिफ़ॉल्ट नियम के अनुसार प्राप्तकर्ता की लोकेशन के आधार पर आपूर्ति की जगह तय करने की सिफारिश की।

इससे विदेशी प्राप्तकर्ता को ऐसी सेवाएं देने वाले भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी के तहत निर्यात से जुड़े लाभ तक पहुंच आसान हो जाएगी।

d) SEZ या FTWZ में विदेशी खरीदारों को डिलीवर किया गया माल: परिषद ने विदेशी खरीदारों को आपूर्ति किए गए लेकिन SEZ या फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग ज़ोन (FTWZ) में डिलीवर किए गए माल को ज़ीरो-रेटेड सप्लाई मानने की सिफारिश की। यह तब लागू होगा जब भुगतान कन्वर्टिबल विदेशी मुद्रा में या आरबीआई की अनुमति से भारतीय रुपए में प्राप्त किया जाए।

यह प्रावधान उन भारतीय विनिर्माताओं के लिए **ज़ीरो-रेटिंग फ़ायदों की उपलब्धता को स्पष्ट** करेगा जो अपने विदेशी ग्राहकों के निर्देश पर SEZ यूनिट के अंदर वेयरहाउसिंग या आगे की प्रोसेसिंग के लिए ऐसी डिलीवरी करते हैं।

जीवन जीना और कारोबार करना आसान बनाना

इन सुझावों का उद्देश्य असरदार तरीके से नियमों को लागू करना, कर देने वालों की सुरक्षा और माल की आसानी से आवाजाही के बीच संतुलन बनाना है।

गिरफ़्तारी और मुक़दमे से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाना

परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ़्तारी की कुछ शक्तियों को वापस लेने का सुझाव दिया। धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने के साथ-साथ प्रगतिशील और विश्वास पर आधारित कर प्रणाली को मज़बूत करने के लिए, परिषद ने ये सुझाव भी दिए:

a) मुक़दमा चलाने की सीमा (थ्रेशोल्ड) को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना।

b) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 132(1) से **कुछ विशेष अपराधों से जुड़े नियमों और शब्दों को हटाना:**

- क्लॉज़ (i) को हटाना, यानी ऐसी सेवाओं को लेने, उनकी आपूर्ति में सहायता करने या उनमें लेन-देन करने के अपराध को हटाना जिनके बारे में किसी व्यक्ति को पता हो या उसे विश्वास करने का कारण हो कि वे अधिनियम का उल्लंघन करती हैं।
- क्लॉज़ (e) से "कर चोरी करना" (evades tax) हटाना; और
- क्लॉज़ (h) से "या किसी अन्य तरीके से लेन-देन करना" (or in any other manner deals with) हटाना।

c) CGST अधिनियम, 2017 की धारा 132(1) के खंड (c) में संशोधन करना, ताकि इसमें सिर्फ़ माल या सेवाएँ प्राप्त किए बिना, या इनवॉइस या बिल के बिना धोखाधड़ी से आईटीसी लेने का अपराध ही शामिल हो।

ई-वे बिल से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाना

परिषद ने निम्नलिखित संशोधनों का सुझाव दिया:

a) रोकने की शर्तें: माल ले जा रहे वाहन को सिर्फ़ विशेष जानकारी (इंटेलिजेंस) के आधार पर और कम से कम संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी की अनुमति से ही रोका जा सकता है।

b) राज्य का अधिकार क्षेत्र: जाँच और आगे की कार्रवाई, जैसे कि रोकना या ज़ब्त करना, तभी की जा सकती है जब आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता उस राज्य में स्थित या पंजीकृत हो जहाँ वाहन को रोका गया है। ट्रांज़िट वाले राज्यों (जहाँ से वाहन गुज़र रहा हो) में माल को नहीं रोका जा सकता।

c) दस्तावेज़ न होने पर अपवाद: अगर कोई ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया गया है, या वाहन में माल के ओरिजिन (जहाँ से चला है) या डेस्टिनेशन (जहाँ पहुँचना है) को दिखाने वाला कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना माल की जाँच की जा सकती है, उसे रोका जा सकता है या ज़ब्त किया जा सकता है।

d) ट्रांज़िट के दौरान ज़ब्ती नहीं: ट्रांज़िट में मौजूद माल/वाहनों को CGST अधिनियम की **धारा 130** के तहत ज़ब्त नहीं किया जाएगा।

इससे माल और वाहनों की आसानी से आवाजाही में मदद मिलेगी और कारोबारियों के लिए आपूर्ति और परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) की क्षमता बेहतर होगी।

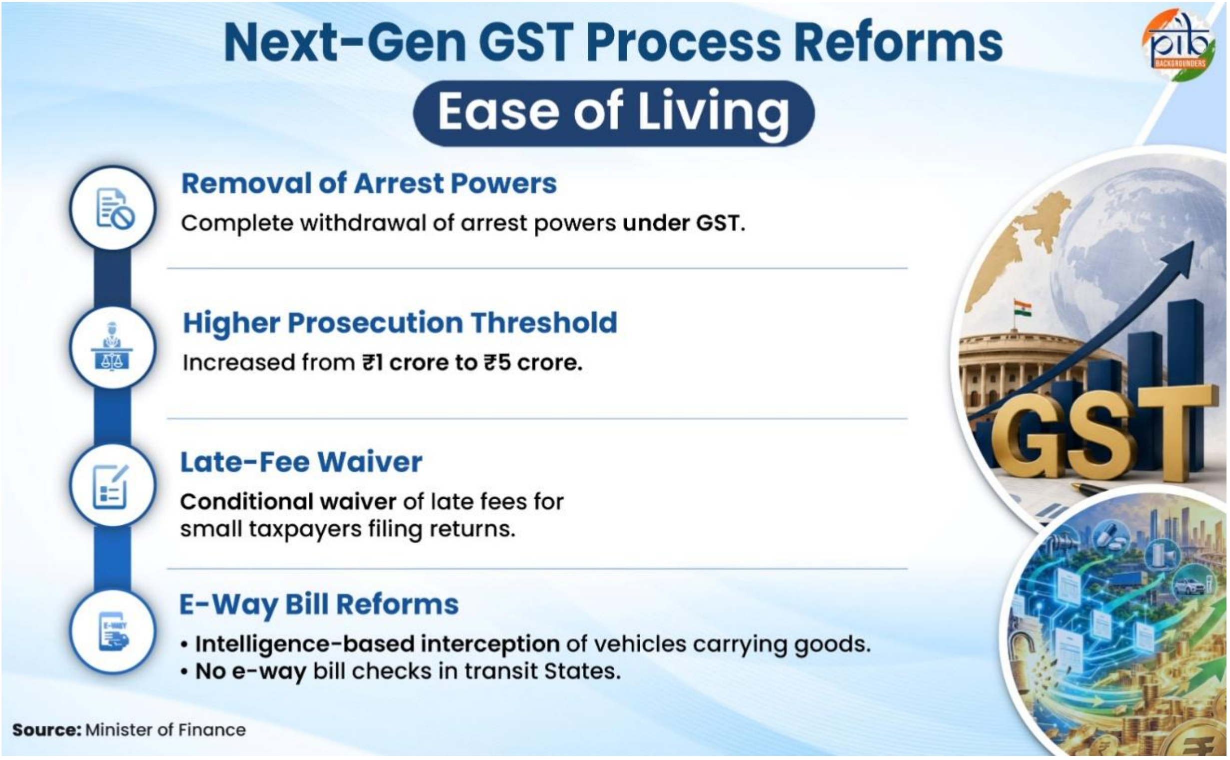

बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) में मालिकाना हक के ट्रांसफर का ट्रीटमेंट

परिषद ने सिफारिश की है कि आईपीआर के मालिकाना हक के ट्रांसफर को - चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी - एक समान रूप से 'सेवाओं की सप्लाई' माना जाए। इससे जीएसटी नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और देशों के बीच आईपीआर के लेन-देन में आसानी होगी।

सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 86A के तहत आईटीसी को ब्लॉक करने से पहले अपनी बात रखने का अवसर

जीएसटी परिषद ने करदाताओं को उनके **इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ब्लॉक की गई रकम के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने** की अनुमति देने की सिफारिश की।

करदाता उस अधिकारी के सामने व्यक्तिगत सुनवाई में भी शामिल हो सकेंगे जो आपत्ति पर फैसला करेगा।

छोटे करदाताओं के लिए विलंब-शुल्क में राहत

परिषद ने पिछले वित्त वर्ष में ₹5 करोड़ तक के सकल कारोबार वाले करदाताओं के लिए **देर से भरे गए रिटर्न पर विलंब शुल्क माफ** करने की सिफारिश की।
यह छूट तब लागू होगी जब देर से भरा जाने वाला रिटर्न उस महीने के आखिर तक भर दिया जाए, जिसमें उसे भरा जाना था।

परिपत्र के ज़रिए विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण

जीएसटी परिषद ने फील्ड ऑफिसों द्वारा अलग-अलग तरह से समझने के कारण पैदा होने वाले इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिए परिपत्र जारी करने की सिफारिश की:

a) इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) द्वारा इनपुट सर्विस क्रेडिट का बंटवारा

b) धारा 17(4) चुनने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों और NBFCs द्वारा आईटीसी दावे

c) प्री-डिपॉजिट का भुगतान

d) कुछ विशेष स्थितियों में प्रदर्शन वाहनों पर आईटीसी

e) सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नियम 96(10) को हटाने की तिथि: 23 अक्टूबर 2017

ARQP स्कीम के लिए संकल्पना पत्र पेश करना

जीएसटी परिषद ने **आगे की बातचीत और चर्चा के लिए एक ऑप्शनल एनुअल रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट (ARQP) स्कीम** का संकल्पना पत्र पेश किया। यह उन करदाताओं के लिए है जिनका पिछले वित्त वर्ष में कुल सकल कारोबार ₹5 करोड़ या उससे कम था और जो सिर्फ़ अपंजीकृत लोगों को आपूर्ति करते हैं (B2C सप्लाई)।

जीएसटी अनुपालन को आसान बनाना

परिषद ने ये सिफारिशें कीं:

a) ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की कर देनदारी को स्पष्ट करना: परिषद ने **CGST अधिनियम, 2017 की धारा 9(5) में संशोधन** करने की सिफारिश की ताकि ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स अपने बिज़नेस मॉडल की परवाह किए बिना अधिसूचित सेवाओं पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार हों।

b) ई-इनवॉइसिंग की ज़रूरतों का दायरा बढ़ाना: ई-इनवॉइसिंग को अपंजीकृत लोगों से मिलने वाली घरेलू आपूर्ति (जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर देना होता है) और सेवाओं के आयात तक बढ़ाना। यह उन करदाताओं पर लागू होगा जिनका कुल सालाना सकल कारोबार₹5 करोड़ या उससे ज़्यादा है।

GSTAT के नियमों को ट्रिब्यूनल सुधारों के अनुरूप बनाना

परिषद ने **CGST एक्ट, 2017** और **GSTAT (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम, 2023** में संशोधन को अनुमति दी।

ये संशोधन जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के नियमों को **ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 2026** और **नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन और ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, चयन और सेवा की शर्तों से जुड़े नियमों, 2026** के अनुरूप बनाएंगे।

माल और सेवाओं पर जीएसटी दरों से जुड़े बदलाव/स्पष्टीकरण

जीएसटी परिषद ने विभिन्न माल और सेवाओं पर जीएसटी के नियमों में बदलाव की सिफारिश की।

तालिका-2: माल के लिए सुझाया गया जीएसटी नियम	
शामिल सामान	**सुझाया गया सुधार**
सब्लीमेशन पेपर	यह स्पष्ट करना कि सब्लीमेशन पेपर को हेडिंग 4809 के तहत वर्गीकृत किया गया है और पुराने मामलों को "जैसा है, जहां है" के आधार पर नियमित किया जाए।
खिलौने	यह स्पष्ट करना कि खिलौनों की दर से जुड़ी अधिसूचना प्रविष्टि में कस्टम टैरिफ एक्ट की हेडिंग 9503 के तहत सभी तरह के खिलौने शामिल हैं और ये सिर्फ़ ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पैडल कार तक सीमित नहीं हैं।
सी-वीड (समुद्री शैवाल) एक्सट्रैक्ट-आधारित बायो-स्टिमुलेंट	यह स्पष्ट करना कि सी-वीड एक्सट्रैक्ट-आधारित बायो-स्टिमुलेंट, जो फर्टिलाइज़र (इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या मिक्स्ड) (कंट्रोल) ऑर्डर, 1985 की अनुसूची VI के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें हेडिंग 3101 के तहत फर्टिलाइज़र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
पुराने (सेकंड-हैंड) वाहन	जीएसटी मार्जिन स्कीम के तहत, सप्लायर खरीदे गए पुराने वाहनों के अलावा अन्य इनपुट और इनपुट सेवाओं पर आईटीसी का दावा कर सकते हैं। यह प्रतिबंध सिर्फ़ खरीदे गए पुराने वाहनों पर दिए गए टैक्स पर लागू होती है।

विशेष प्रकार का कचरा और प्लास्टिक का स्क्रैप, टायर का कचरा और स्क्रैप, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरा और स्क्रैप, और इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) तब लागू होगा जब कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ऐसे खास कचरे और स्क्रैप की सप्लाई किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को करेगा। थ्रेशोल्ड (सीमा) पार करने पर सप्लायर को रजिस्टर करना होगा, जबकि रिसीवर को कर देना होगा, भले ही सप्लायर उस सीमा से नीचे हो। ऐसे विशिष्ट कचरे और स्क्रैप की रजिस्टर्ड-से-रजिस्टर्ड सप्लाई पर 2% टीडीएस लागू होगा।
इसबगोल के बीज (इसबगोल)	चाहे ताजे हों, ठंडे किए गए हों, फ्रोज़न हों या सूखे, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
री-ट्रेड किए गए ट्रैक्टर टायर	री-ट्रेड किए गए ट्रैक्टर टायरों पर जीएसटी की दर नए ट्रैक्टर के टायरों के बराबर कर दी गई है।
दो-पहिया और चार-पहिया वाहन	01.07.2017 से 30.09.2022 तक कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) द्वारा न लगाए गए कंपनसेशन सेस (मुआवजा उपकर) से छूट।

एरेटेड ड्रिंक्स (गैस वाले पेय)	01.07.2017 से 31.03.2022 तक सीएसडी और यूनिट रन कैंटीन द्वारा न लगाए गए कंपनसेशन सेस से छूट।

तालिका-3: सेवाओं के लिए सुझाया गया जीएसटी ट्रीटमेंट

शामिल सेवाएं	सुझाया गया सुधार
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का इस्तेमाल करके यात्रियों का ट्रांसपोर्ट और मोटर वाहनों का किराया	इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करके दिए जाने वाले यात्री ट्रांसपोर्ट और मोटर वाहन किराए पर देने (ऑपरेटर के साथ) की सेवाओं के लिए, जहां बैटरी चार्जिंग की लागत कीमत में शामिल हो, वहां सीमित आईटीसी के साथ 5% जीएसटी चुकाने का विकल्प दें।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ECO) के ज़रिए दी जाने वाली डिलीवरी सेवाएं	कूरियर या पोस्टल सेवाओं के अलावा, ECO के ज़रिए दी जाने वाली डिलीवरी सेवाओं को CGST एक्ट, 2017 की धारा 9(5) के तहत लाएं, जब सर्विस प्रोवाइडर को CGST एक्ट, 2017 की धारा 22(1) के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत न हो; इन पर बिना आईटीसी के 5% जीएसटी दर लागू होगी।

ईसीओ के ज़रिए सप्लाई या ऑॅर्डर किए गए सामान की डिलीवरी सेवाएं	माल की डिलीवरी सेवाओं पर बिना आईटीसी के 5% जीएसटी दर तय करें, जहां ऐसा सामान ईसीओ के ज़रिए सप्लाई या ऑॅर्डर किया गया हो।
ईसीओ के ज़रिए सप्लाई या ऑॅर्डर किए गए सामान के लिए माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) द्वारा माल की ढुलाई की सेवाएँ	ईसीओ के ज़रिए सप्लाई या ऑॅर्डर किए गए सामान के लिए जीटीए द्वारा सामान की ढुलाई की सेवाओं पर अधिसूचना संख्या 12/2017 - CTR की प्रविष्टि 21A के तहत मिलने वाली छूट को न दें।
मोटर वाहन लीज़िंग	स्पष्ट करें कि लीज़र द्वारा लीज़ी से वसूले जाने वाले कानूनी और सहायक शुल्क, जैसे रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और FASTag शुल्क, मोटर वाहनों की लीज़िंग की मुख्य सप्लाई से जुड़े हुए हैं।
रेस्टोरेंट, आउटडोर कैटरिंग, 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रति दिन तक की कीमत वाली होटल में रहने की सुविधा और जिम या फ़िटनेस सेवाएँ	एक ही तरह के कारोबार में रेस्टोरेंट/आउटडोर कैटरिंग सेवाएँ, 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रति दिन तक की कीमत वाली होटल में रहने की सुविधा और जिम/फ़िटनेस सेवाओं की सप्लाई के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दें।
सीट-शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की ढुलाई	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में स्थित एयरपोर्ट या हेलीपैड तक या वहाँ से सीट-शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर से यात्रियों की ढुलाई की सेवाओं को छूट दें।

बुआई के लिए बीजों का स्टोरेज या वेयरहाउसिंग	बुआई के लिए बीजों के स्टोरेज/वेयरहाउसिंग की सेवाओं को जीएसटी से छूट देना।
कॉफ़ी की प्रोसेसिंग (क्यूरिंग)	कॉफ़ी क्यूरर्स द्वारा किसानों को दी जाने वाली कॉफ़ी क्यूरिंग की एग्रीकल्चरल सपोर्ट सर्विस (खेती से जुड़ी सहायता सेवा) को जीएसटी से छूट देना।
सीमेन प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (एसपीएफओ) की सेवाएँ	एसपीएफओ द्वारा उन लोगों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट देना जो सीमेन प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1966 के दायरे में आते हैं।
अनुसंधान और विकास सेवाएँ	अनुसंधान और विकास सेवाओं के लिए मिलने वाली छूट का दावा करने के उद्देश्य से, अनुसंधान और विकास सेवाएँ देने वाली संस्था के प्रमुख द्वारा 'सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन' (स्व-प्रमाणन) की आसान प्रक्रिया; ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि गतिविधि अनुसंधान और विकास की प्रकृति की है, न कि कंसल्टेंसी की।
विदेशों में स्थित कार्यालयों से विदेशी शिपिंग कंपनियों की भारतीय शाखाओं द्वारा आयात की गई सेवाएँ	किसी विदेशी शिपिंग कंपनी की भारतीय शाखा द्वारा किसी संबंधित व्यक्ति या भारत के बाहर स्थित अपनी किसी शाखा से बिना किसी भुगतान (कंसीडरेशन) के आयात की गई सेवाओं को जीएसटी से छूट देना। पिछली अवधि के मामलों को "जैसा

	है, जहाँ है" के आधार पर नियमित (रेगुलराइज़) किया जाएगा।
टोल फ़ीस मांगने, इकट्ठा करने और अपने पास रखने के विशेष अधिकार देना	किसी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए टोल फ़ीस मांगने, इकट्ठा करने और अपने पास रखने का विशेष अधिकार, लाइसेंस और प्राधिकार किसी कंसेशनियर (रियायत पाने वाले) को देने की सेवा को जीएसटी से छूट प्राप्त होगी। यह तब लागू होता है जब सरकार (जिसमें लोकल अथॉरिटी, सरकारी अथॉरिटी या सरकारी संस्थाएं शामिल हैं) किसी कंसेशनियर को ऐसे अधिकार देती है।
टीओटी मॉडल के तहत हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस (O&M) सेवाएं	टीओटी मॉडल में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेशनिंग अथॉरिटी को कंसेशनियर द्वारा दी जाने वाली O&M सेवाओं पर जीएसटी के मूल्यन (वैल्युएशन) और भुगतान के समय के बारे में विशेष प्रक्रिया उपलब्ध कराना
बैंक शाखाओं के बीच फंड ट्रांसफर प्राइसिंग (एफटीपी) ट्रांज़ैक्शन	यह स्पष्ट करना कि फंड ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांज़ैक्शन के हिस्से के तौर पर मुख्य कार्यालय द्वारा बैंकों की शाखाओं के बीच फंड के काल्पनिक ट्रांसफर की गतिविधि के लिए बैंकों की अकाउंट बुक्स में "ब्याज" के तौर पर दर्ज काल्पनिक राशि, 28.06.2017 की

	अधिसूचना संख्या 12/2017-CT(Rate) में दी गई "ब्याज" की परिभाषा के दायरे में आती है।

निष्कर्ष

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक की सिफारिशों में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और विवाद सुलझाने से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान दिया गया है। इनका उद्देश्य व्यापार को मज़बूत करना, कर से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना और छोटे विक्रेताओं व सेवा निर्यातकों के लिए अवसर बढ़ाना भी है।

ये सिफारिशें जीएसटी की सफलता पर आधारित हैं और इसमें लगातार सुधार की दिशा में एक और कदम हैं। ये सभी उपाय मिलकर 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) को और बढ़ावा देंगे और एक ज़्यादा कुशल और करदाताओं के अनुकूल जीएसटी प्रणाली बनाने में सहायता करेंगे।

संदर्भ

वित्त मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2320934&reg=48&lang=1

https://www.gstn.org.in/

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/final_gst_revenue_report_for_publishing_monthly_sep_2026.pdf

https://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2024-02/final-gst-faq-edition.pdf

https://x.com/cbic_india/status/2108164737750245854/photo/1

https://x.com/cbic_india/status/2108168206401830918/photo/1

https://x.com/cbic_india/status/2108195783657111921?s=46

https://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2024-02/final-gst-faq-edition.pdf

https://cbic-gst.gov.in/hindi/CGST-bill-e.html

https://cbic-gst.gov.in/hindi/pdf/central-tax-rate/Notification11-CGST.pdf

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/refund/Application_for_Refund.htm

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/demandsandrecovery/Manual_GST_FORM_DRC-03.htm

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163555&lang=2&reg=3
https://www.gstcouncil.gov.in/sites/default/files/2024-02/final-gst-faq-edition.pdf
https://cbic-gst.gov.in/pdf/CGST-Act-Updated-30092020.pdf page 16

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/returns/GSTR_1.htm

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/creative_faqs_on_gstr1a_fo_cr25785.pdf

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/returns/FAQs_IFF.htm

https://tutorial.gst.gov.in/userguide/returns/GSTR3B.htm

https://tutorial.gst.gov.in/downloads/news/updated%20advisory_gstr_2b_12_10_2021.pdf

https://x.com/cbic_india/status/2108178638441206154?s=46

https://x.com/cbic_india/status/2108175960789209370?s=12

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

https://www.commerce.gov.in/ministryofcommerce/node/3350

https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?lang=2&reg=48&relid=191168

PIB Archives

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2279318&lang=1&reg=3

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?ModuleId=16&id=150871&lang=1&reg=48

पीआईबी शोध

पीके/केसी/आरटी/पीके